न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 117/18 GCMS NO 2018/00085

1. रणवीर पुत्र गोपाल
2. हंसराज पुत्र गोपाल
3. बच्चू पुत्र गोपाल जातियान जाट निवासीयान ग्राम ठींगला तहसील व जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. घनश्याम पुत्र गिर्राज
2. लक्ष्मीचंद पुत्र गिर्राज जातियान मीना निवासीयान ग्राम ठींगला तहसील जिला सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 27/16 निर्णय दिनांक 18.9.18 न्यायालय उपजिला कलक्टर, सवाई माधोपुर)

अभिभाषक अपीला0 श्री रविशंकर सैनी

अभिभाषक रैस्पो0 श्री भगवानदास माली

दिनांक 12.11.2024

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 18.9.18 न्यायालय उपजिला कलक्टर, सवाई माधोपुर पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पो0 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि ग्राम ठीगला की राजस्व सीमा मे स्थित गैर मुमकिन चाह ख0न0 508 रकबा 0.03 है0 प्रार्थी/रेस्पो0 की खातेदारी की आराजीयात है। गैर मुमकिन चाह आज से करीब 40 साल पहले ध्वस्त हो चुका है। चाह की सम्पूर्ण भूमि समतल भूमि के रूप मे मौजूद है। जो प्रार्थीगण/रेस्पो0 के कब्जे मे है। अप्रार्थीगण/अपीलांट प्रार्थीगण/रेस्पो0 से रंजिश रखते है जो उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है। दिनांक 1.2.18 को अपीलांट/अप्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि को मामूली रूपया लेकर खरीद करने की बल पूर्वक कोशिश की गई। कहॉ कि कुआ समाप्त हो चुका है अब इस भूमि को हमको विक्रय कर दिया जावे ताकि हम लोग मकान बनावा लेगे। यदि तुम लोगो ने इस भूमि को हमको विक्रय नही की तो जबरन कब्जा कर लेगे। जिसका अपीलांट/अप्रार्थीगण को कोई अधिकार प्राप्त नही है। भूमि [illegible] /रेस्पो0 की खातेदारी की आराजीयात है जिस पर अपीलांट/अप्रार्थीगण को किसी [illegible] कोई अधिकार प्राप्त नही है। अप्रार्थीगण/अपीलांट इस भूमि को जबरन [illegible] चाहते है। इस अपीलांट/अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि उक्त आराजीयात

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:57:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

किसी भाग पर जबरन कब्जा ना करे ना ही प्रार्थीगण/रेस्पो० के कब्जे काश्त मे व्यवधान पैदा नही करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थीगण/रेस्पो० द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण/रेस्पो० का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/अप्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो० को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र एक तरफा दस्तावेजो का अवलोकन किया गया है अपीलार्थीगण की खातेदारी की भूमि ख0न0 507/710 रकबा 0.22 है0 की जमाबंदी एवं नक्शा का अवलोकन नही किया गया है। जो रेस्पो0 की भूमि ख0न0 508 से लगती हुई है। दोनो पक्षो के खेतो के बीच बुर्जगान के समय से ही डोल बनी हुई है तथा दोनो अपनी अपनी भूमि पर शांति पूर्वक काबिज काश्त है। अब रेस्पो0 के मन मे बेईमानी आ गई। रेस्पो0 अपनी भूमि पर स्टे करवाकर हम अपीलांट की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि को हतियाना चाहते है। जबकि अपीलार्थीगण द्वारा कोई विवाद आज नही किया गया है। उसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांर्थीगण को पाबन्द गलत रूप से किया गया है। जिसके कारण रेस्पो0 अपीलार्थीगण की भूमि मे बाधा उत्पन्न करने लग गये है। भूमि ख0न0 507/710 जिसके साबिक ख0न0 654/1 रकबा 18 विस्व के सबंध मे विवादित स्थल पर अवैध कब्जा व अतिक्रमण का प्रयास करने के कारण फेलूराम वगै0 के विरूद्व उपजिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के यहॉ दावा कर रखा है। जिसमे अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द भी कर रखा है। इसी जगह को लेकर फेलूराम ने अपीलांर्थी के पिता गोपाल के विरूद्व सिविल कोर्ट मे दावा किया था जिसमे निर्णय अपीलांर्थीगण के पक्ष मे हुआ है। जिसकी अपील फेलूराम द्वारा जिला न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय मे की थी जो खारिज हो चुकी है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांर्थीगण को बेवजह पाबन्द किये जाने से अनावश्यक परेशानी उत्पन्न हो गई है । उक्त स्टे की आड मे रेस्पो0 आये दिन विवाद उत्पन्न करने लग गये तथा अपीलार्थीगण की भूमि को शांति पूर्वक उपयोग मे बाधा उत्पन्न करने लग गये। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.9.18 को निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 ने अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया कि ग्राम ठीगला की राजस्व सीमा मे स्थित गैर मुमकिन चाह ख0न0 508 रकबा 0.03 है0 रेस्पो0 की खातेदारी की आराजीयात है। गैर मुमकिन चाह आज से करीब 40 साल पहले ध्वस्त हो चुका है। चाह की सम्पूर्ण भूमि समतल भूमि के रूप मे मौजूद है। जो रेस्पो0 के कब्जे मे है। अपीलांट रेस्पो0 से रंजिश रखते है जो उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमादा होने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्राईमाफेसी केस रेस्पो0 के पक्ष मे [illegible] विवादित भूमि मे अपीलार्थीगण का किसी प्रकार का कोई हित निहित नही होने के कारण ही अनुरूप निर्णय पारित किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:37:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद की वाहुलता ना बढे इस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए वाद कें निस्तारण तक उभयपक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है। जो विधि के अनुरूप है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात ख0न0 508 रकबा 0.03 है0गैर मुमकिन चाह जमाबंदी सम्वत 2069 से 2072 रेस्पो0 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। पत्रावली मे संलग्न मौका रिपोर्ट दिनांक 20.6.19 जो कि उभयपक्ष की मौजूदगी मे पटवारी हल्का ठींगला एवं पटवारी हल्का रामडी तथा गिरदावर वृत सवाई माधोपुर द्वारा तैयार की गई है उसके मुताबिक भूमि ख0न0 508 रकबा 0.03 है0 गैर मुमकिन चाह की भूमि के आसपास आबादी की भूमि स्थित है विवादित भूमि आबादी के बीचो बीच स्थित होना अंकित है। इससे यह स्पष्ट है कि भूमि आम जन के रास्ते के काम आ रही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आमजन की सहुलियत को देखते हुए उभयपक्ष को दावे के निस्तारण तक पाबन्द किया गया है जो एक उचित आदेश है। जिसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के प्रकरण संख्या 27/16 मे पारित निर्णय दिनांक 18.9.18 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:57:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner